पंचायत आम निर्वाचन
अनुदेश क्रमांक–03

छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एंव ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक / पंचा.–04 / पंग्राविवि / 22 / 2019 / 382 अटल नगर, दिनांक 11 / 09 / 2019

प्रति,

समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषय :– **त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन वर्ष 2019–20 हेतु, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्राम / ग्राम पंचायतवार, जनसंख्या के आंकड़ों का संधारण किये जाने बाबत्।**

संदर्भ :– **विभाग का पत्र क्र. / पंचा.–03 / पंग्राविवि / 22 / 2019 / 378, दिनांक 09.09.2019.**

–– 00 ––

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। संदर्भित पत्र में आम निर्वाचन वर्ष 2019–20 की कार्यवाही छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 तथा छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के प्रावधानों के अनुसार किये जाने के संबंध में संशोधित समय–सारणी के अनुसार परिसीमन एवं क्षेत्र का निर्धारण तथा आरक्षण की कार्यवाही किये जाने के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश दिये गये हैं।

तदानुसार त्रिस्तरीय पंचायतों का आम निर्वाचन वर्ष 2019–20 में सम्पन्न कराया जाना है। छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्णय लिया गया है कि ग्राम पंचायत क्षेत्रों का परिसीमन वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किया जाय। सुविधा की दृष्टि से विद्यमान ग्राम पंचायतों में सम्मिलित ग्रामों की जनसंख्या के आंकड़ों का भी संधारण किया जाय।

(2) विद्यमान स्थापित ग्राम पंचायतों में सम्मिलित ग्रामों का भली–भांति परीक्षण कर लिया जाय, ताकि कोई भी ग्राम प्रकाशन से छूट न जाय।

(3) यह भी सुनिश्चित किया जाय कि भू–राजस्व संहिता एवं वन अधिनियम के अंतर्गत यदि नवीन ग्राम घोषित हुये हों, तो उन्हें भी यथा स्थान संबंधित ग्राम पंचायतों में सम्मिलित किया जाय। वन ग्राम तथा वीरान ग्राम भी ग्राम पंचायत में सम्मिलित होने वाले ग्रामों की सूची में दर्शित होंगी, इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखा जाय।

(4) वर्तमान में वर्ष 2011 की जनसंख्या आपके पास उपलब्ध हैं, इसे ध्यान में रखते हुए वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामों / ग्राम पंचायत की जनसंख्या भी आपके पास उपलब्ध होंगे।

किसी परिस्थितिवश ग्राम विशेष के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं होने की दशा में आपके जिले में स्थित जनगणना कार्यालय / जिला सांख्यिकीय अधिकारी से सम्पर्क किया जाकर सुसंगत आंकड़े प्राप्त किये जा सकते हैं।

(5) प्रदेश के प्रत्येक ग्राम की वर्ष 2011 की जनसंख्या के आंकड़े संकलित करते समय उस ग्राम के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के भी आंकड़े संधारित कर ली जाय।

(6) वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों का संधारण करते समय वर्गवार, महिलाओं के सुसंगत आंकड़े ''ग्रामवार'' संकलित किया जाय, ताकि समय–समय पर आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, इसका उपयोग किया जा सके।

Scanned by CamScanner

(7) वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार जनपद पंचायत स्तर पर, एक पंजी का संधारण किया जाय, जिसका उपयोग आप आगामी आम निर्वाचन वर्ष 2019–20 की कार्यवाही में कर सकेंगे।

(8) "ग्राम पंचायत" स्तर पर, ग्राम की जनसंख्या दर्शाने वाली एक सूची, जनपद पंचायत स्तर पर संलग्न सारणी के अनुसार पूर्व में संधारित की जा चुकी होगी।

कृपया उपरोक्तानुसार की गई कार्यवाही से इस विभाग को एवं पंचायत संचालनालय के ई–मेल **dp.cg@nic.in** में हार्ड एवं सॉफ्टकापी में नियत समयावधि में उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे।

संलग्न :– यथोपरि।

(जितेन्द्र कुमार शुक्ला)
उपसचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ. क्रमांक / पंचा.–04 / पंग्राविवि / 22 / 2019 / 383 अटल नगर, दिनांक 11 / 09 / 2019
प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ।
3. उपसचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ।
4. स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, डी.के.एस. भवन, पुराना मंत्रालय रायपुर, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ।
6. आयुक्त / संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. संचालक, पंचायत संचालनालय, छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. समस्त उपसंचालक, पंचायत, जिला कार्यालय छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उपसचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

Scanned by CamScanner

पंचायत आम निर्वाचन
अनुदेश क्रमांक–03

// सारणी //

खण्ड का नाम	अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम/ग्रामों का नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*

कलेक्टर
जिला ....

Scanned by CamScanner